बेटे की हत्या में पिता, सौतेली मां व मामा को आजीवन कारावास

25-25 हजार जुर्माना, 40 हजार रुपये वादी को देने का आदेश

जागरण संवाददाता, कानपुर : अपर जिला जज प्रथम रुचना त्रिपाठी की कोर्ट ने बेटे की जहर देकर हत्या कर देने वाले पिता, सौतेली मां व सौतेले मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने से 40 हजार रुपये वादी मुकदमा को देने का आदेश दिया है। मुकदमे में फोरेंसिक रिपोर्ट की अहम भूमिका रही। इसमें बताया गया था कि जहर देकर हत्या की गई है।

इटावा के भरथना निवासी श्यामबाबू ने 15 जून 2022 को भरथना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला चोरी थाने का होने के कारण जांच चौकी थाना पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रथमबबू को बेटी अर्चना की शादी हरविंदर नगर निवासी राजेश कुमार से दिसंबर 1996 में हुई थी। अर्चना का बेटा सुशांशु यादव उर्फ लल्ला अपने ननिहाल में ही रहता था। 20 मई 1999 को अर्चना की हत्या कर दी गई थी। इसी वर्ष 2022 में राजेश, उसके पिता गंगासहाय और मां फूलन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अपील के दौरान तीनों की हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। जेल से छूटने के बाद राजेश ने रोजी से दूसरी शादी कर ली। इससे उसे एक बेटा हुआ। छह जून 2022 की अचानक सुशांशु की फोन करके बाबा की तबीयत खराब होने की बात कहकर कानपुर बुलाया गया, फिर 13 जून 2022 को सुबह सुशांशु की मौत की सूचना मिली। सुशांशु के ननिहाल वालों के पहुंच जाने और पुलिस बुला लेने पर सुशांशु के शव को छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने राजेश और उसकी दूसरी पत्नी रोजी के गई इटावा के भरथना निवासी गोविंद उर्फ गोलू को गैंग से ही गिरफ्तार कर लिया था। स्थानीय जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप साहू ने बताया कि राजेश, रोजी और गोविंद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। अभियोजन की ओर से 17 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।

मिक्सर ट्रक ने डाक्टर को बेरहमी से रौंदा, मौत

आइआइएम रोड के शालीमार गार्डन-बी के गेट पर शनिवार देर शाम सीमेंट कंक्रीट की मिक्सर समाग्री ले जा रहे ट्रक ने कानपुर में तैनात 38 वर्षीय डा. जय प्रकाश गुप्ता को रौंद दिया।

कानपुर के केपीएम अस्पताल के ट्रेटल विभाग में सर्जन जय प्रकाश आइआइएम रोड के शालीमार गार्डन-बी में परिवार के साथ रहते थे। वह बैकेज पर घर आते थे। पत्नी डा अर्चना केजीएमयू में प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को पति कानपुर से छुट्टी कर लौटे थे। वह शालीमार गार्डन-बी के गेट पर खड़े होकर बेटे देवांश का इंतजार कर रहे थे। परिसर के अंदर से तेजी से निकले मिक्सर ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी। ट्रक के पिछले पहिया उनके ऊपर से निकल गया। गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने जब ट्रक रुकवाना चाहा तो चालक ने उसे कुचलने का प्रयास किया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ

अखिलेश दुबे की हालत बिगड़ी, जेल से उर्सुला में भर्ती कराया

जागरण संवाददाता, कानपुर : दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज कराकर आरोपित यश से वसूली के आरोपी में जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे की तबीयत सोमवार को बिगड़ गई। उन्हें पहले जेल अस्पताल ले जाया गया, मगर वहां आराम न मिलने के बाद उर्सुला में भर्ती कराया गया है।

अखिलेश दुबे • जागरण आर्काइव

अधिवक्ता अखिलेश दुबे को सीमारी के चलते जेल से उर्सुला अस्पताल में उच्च सुरक्षा के साथ भर्ती कराया गया है।

रघुवीर लाल, पीआरओ, अस्पताल

डाक्टरों के मुताबिक अखिलेश दुबे की तबीयत खराब है, लेकिन वह खतरे से बाहर हैं।

अखिलेश महाराज में वर्ष के जूही थाना निवासी भाजपा नेता रवि यादीना ने अधिवक्ता अखिलेश दुबे व स्वयंभी लवी समेत आरोपितों पर दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। पिछले साल छह अगस्त अखिलेश दुबे व लवी को जेल भेजा गया था। अखिलेश की दो छोटे मामलों में जमानत मिल चुकी सोमवार को अखिलेश को सांस में तकलीफ, लो बीपी और हार्ट समस्या पर जेल प्रशासन ने उन्हें रेफर किया था। जहां उन्हें अहसास डाक्टरों ने स्थान विशारी और पुष्टि की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है।

शाकाहारी के आर्डर पर भेजा मांसाहारी पिज्जा, हंगामा

जागरण संवाददाता, कानपुर : सोमवार नगर स्थित पिज्जा स्टोर से शाकाहारी के आर्डर पर मांसाहारी पिज्जा भेजने पर ग्राहक ने हंगामा किया। धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाकर ग्राहक ने पुलिस से शिकायत की है। लाल कालोनी निवासी अंशु यादव ने बताया कि उन्होंने शनिवार रात 1:22 बजे चार फुल पिज्जा का आर्डर दिया था, डिलीवरी बाय न होने पर वह खुद लेकर आए थे। पिज्जा खाया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। वह पिज्जा लेकर स्टोर पहुंचे, शिकायत पर पता चला कि पिज्जा पनीर के बजाय चिकन है। किचन्स नगर थानाप्रभारी ने बताया कि कोई शिकायत लेकर नहीं आया है।

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय

भर्ती सूचना

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत स्थापित)

भारत और पंजाब सरकारों से नियमित आधार पर निम्नलिखित रिक्तियों पर ही हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

- प्रोफेसर
- सह प्रोफेसर
- सहायक प्रोफेसर

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 27.04.2026 (सायं 5 बजे तक)

विस्तृत विवरण हेतु कृपया वेबसाइट: www.cup.edu.in देखें।

कुलसचिव

पत्र व सम्पर्क सूत्र, टीका मोड़-151401 हैरिस: recruitment@cup.edu.in

लखनऊ में 53 कारतूसों के साथ पकड़ी गई साढ़ की महिला

आदेशछ नगर पेट्रो स्टेशन पर चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने एक महिला को 53 कारतूसों के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान कानपुर के साढ़ निवासी तिवारीपुर निवासी प्रतिभा पाल के रूप में हुई है।

महानगर इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि प्रतिभा रविवार को कानपुर लिया घर जाने के लिए आदेशछ नगर पेट्रो स्टेशन पहुंची। आलमबाग से बस से उसे कानपुर जाना था। पेट्रो स्टेशन पर सुरक्षाकर्मियों ने महिला के बैग की एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (एक्सबीआइएस) पर रखा। स्क्रीन पर बैग में कारतूस जैसा दिखा। टीम ने पुलिस को सूचना दी। दारोगा अनुराग सिंह को भेजा गया। पुलिस ने बैग की छानबीन की तो उसमें से 303 बोर के 28, नाइन एएमएम के 18 कारतूस मिले। महिला ने बताया कि पति चंद्रशेखर सिंह पुलिस में सैनिक के पद पर थे। फरवरी में उनकी मौत हो गई थी। बैग पति का था, लेकिन कारतूस कहां से आए, वह नहीं बता सकी। इंस्पेक्टर ने बताया कि आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ

पेट्रोलियम कंपनी अधिकारी बन टप्पेबाज उठा ले गए दो सिलिंडर

- गोविंदनगर थानाक्षेत्र की चरन सिंह कालोनी का मामला, जांच का झांसा देकर घर में घुसे थे आरोपित
- सीसी कैमरे में सिलिंडर ले जाते बाइक सवार दो टप्पेबाज दिखे, अब पुलिस ने शुरू की है दोनों की तलाश

जागरण संवाददाता, कानपुर : शहर में एक और लोग गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं तो दूसरी ओर टप्पेबाज रिफेड भी उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। गोविंदनगर में पेट्रोलियम कंपनी अधिकारी बन जांच करने का झांसा देकर घर के अंदर घुसे टप्पेबाज दो सिलिंडर उठा ले गए। सिलिंडर ले जाते बाइकसवार दो टप्पेबाज सीनी कैमरे में दिखे हैं।

गोविंदनगर थानाक्षेत्र की चरन सिंह कालोनी निवासी कीर्ति वर्मा एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं। परिवार में उनके भाई विजय, भाभी सरोजनी और 10 साल की भतीजी विदिशी हैं। कीर्ति के मुताबिक सोमवार को वह स्कूल में थीं और भाई नौकरी पर गए थे। घर पर भाभी और भतीजी थीं। दोपहर 12:30 बजे दो लोग बाइक से घर आए। भाभी के पूछने पर बताया कि वह इंडियन आयल कारपोरेशन से आए हैं और खुद को अधिकारी बताते हुए गैस सिलिंडर की जांच करने की बात कहते हुए अंदर घुस आए। सर्विसिंग में जांकर रेग्युलेटर खोलकर सिलिंडर को बाहर निकाल लिया। इसी बीच उसका दूसरा साथी कहीं रखा दूसरा खाली सिलिंडर भी उठा ले आया। एक सिलिंडर लेकर वह नाटक करने लगा और दूसरे ने गैस एजेंसी की रसीद लाने को कहा। भाभी रसीद लेने कमरे में पहुंचीं तो दोनों सिलिंडर उठाकर घर के बाहर आ गए। इसके बाद दोनों सिलिंडर रखकर भाग निकले। भाभी उनके पीछे शोर मचाते रहीं, लेकिन जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते और दोनों आरोपित सिलिंडर लेकर गायब हो गए। थानाप्रभारी किशोर कुमार सिंह ने बताया कि सीसी कैमरे के फुटेज से टप्पेबाजों की तलाश की जा रही है।

गोविंदनगर में सिलिंडर ले जाते सीसी कैमरे में कैद हुए बाइकसवार टप्पेबाज • जागरण ग्रैफ

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

अंचल दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, प्रयागराज 19—ए, द्वारिका भवन, प्रथम तल, टैगोर टाउन, प्रयागराज

ई- नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए सूचना

"परिशिष्ट"- IV-ए [नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के परंतुक को देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के परंतुक के तहत ई- नीलामी बिक्री सूचना

एतत्द्वारा जनसाधारण एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता को विशेष रुप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभारयुक्त सम्पत्ति को, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जे** में लिया गया है, को बैंक के निम्नलिखित खाते के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **"जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। ऋणी/जमानतकर्ता/प्रतिभूति आस्ति/देय/ आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (इएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रं0 सं0	ऋणियों/ जमानतकर्ताओं का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया राशि	ई- नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जा की स्थिति	सम्पत्ति निरीक्षण करने के लिए तिथि एवं समय
1.	**ऋणी:- मेसर्स विंग्स कामर्शियल कंपनी लिमिटेड** **निर्देशक - श्री शरद कुमार अग्रवाल, श्री प्रतीक अग्रवाल, श्रीमती नीता अग्रवाल, पंजीकृत कार्यालय-** 76/41-42, चन्द्रा मार्केट, हालसी रोड, कानपुर **निदेशक एवं जमानतकर्ता (मेसर्स विंग्स कामर्शियल कंपनी लिमिटेड) -** **(1) श्री शरद कुमार अग्रवाल** स्टेशन रोड, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) **(2) श्री प्रतीक अग्रवाल-** स्टेशन रोड, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) **(3) श्रीमती नीता अग्रवाल,** स्टेशन रोड, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) **आरएसएल इंडस्ट्रीज** (जमानतकर्ता)**: पंजीकृत कार्यालय-** 76/41-42 चंद्रा मार्केट, हालसी रोड, कानपुर	1-लीज होल्ड प्लॉट नंबर बी-1(पी), औद्योगिक क्षेत्र, बाजपुर-1, जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), जोकि मेसर्स विंग्स कामर्शियल कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व में है, जिसका क्षेत्रफल 1140 वर्गमीटर है। **चौहद्दी- उत्तर-** प्लॉट नंबर सी-1 **दक्षिण-** प्लॉट नंबर बी1 **पूरब-** सडक नंबर 3 **पश्चिम-** प्लॉट नंबर बी2 2-लीज होल्ड प्लॉट नंबर सी1, सी-2, औद्योगिक क्षेत्र, बाजपुर-1, बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर, जोकि मेसर्स विंग्स कामर्शियल कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व में है, जिसका क्षेत्रफल 8211.57 वर्गमीटर है। **चौहद्दी- उत्तर-** औद्योगिक क्षेत्र की बाउड्री **दक्षिण-** प्लॉट नंबर बी1 और बी2 **पूरब-** सडक नंबर 3 **पश्चिम-** औद्योगिक क्षेत्र की बाउड्री	**दिनांक** 30.09.2025 तक **रु. 9,69,05,623.40** + ब्याज एवं अन्य प्रभार/खर्चे निनांक 30.06.2009 से प्रभावी	दिनांक: **27.04.2026** समय: **02:00 PM** से **06:00 PM**	रु. 1,35,44,000/- (आरक्षित मूल्य) रु. 13,54,400/- (अग्रिम धनराशि) रु.1,00,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)	भौतिक	07.04.2026 से 26.04.2026 समय 10:00 AM से 4:00 PM
			नोटः उत्तरखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बाजपुर, उधम सिंह नगर का बिजली बिल बकाया दिनांक 18.11.2010 तक रू0 1,36,33,777/- रुपये + 10 प्रतिशत संग्रह व्यय *UPSIDC का बकाया, यदि कोई हो।				

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाईट का अवलोकन करें:- **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं ऑनलाइन ऑक्सन पोर्टल Baanknet.com बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं0- **9451845259, 9909229922** से सम्पर्क करें।

दिनांक : 06.04.2026 स्थानः प्रयागराज प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

नियम एवं शर्तें- • TRIPLE धमाका ऑफर दैनिक जागरण, दैनिक जागरण-Inext, नईदुनिया और नवदुनिया के सभी पाठकों के लिए है। योजना 6 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। सुपर 15 योजना 90 दिन चलेगी और गारंटीड उपहार/ मेगा ड्रा योजना 120 दिन चलेगी • TRIPLE धमाका ऑफर में कुल 7 लकी ड्रा (6 सुपर 15 लकी ड्रा और 1 मेगा ड्रा) होंगे सुपर 15 योजना में 90 दिनों में 6 लकी ड्रॉ, यानी हर 15 दिनों में 1 लकी ड्रा होगा। 120 दिनों के बाद मेगा ड्रा किया जायेगा और मेगा ड्रा में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को गारंटीड उपहार दिया जायेगा • TRIPLE धमाका ऑफर के तहत दो अलग अलग प्रकार के कूपन और कूपन प्रपत्र प्रकाशित किये जायेंगे- गारंटीड / मेगा एवं सुपर 1 • सुपर 15 योजना के प्रत्येक ड्रा में 15 दिनों में कुल 15 कूपन प्रकाशित किये जाएंगे। सभी ड्रा में भाग लेने के लिए पाठक को हर 15 कूपनों में से कोई भी 10 कूपन प्रपत्र पर चिपकाने होंगे। प्रत्येक ड्रा में कूपन प्रपत्र 2 बार प्रकाशित होगा। 6-20 तारीख तक चलने वाले ड्रा का लकी ड्रा 25 तारीख को किया जायेगा और विजेताओं की पहली सूची 26 तारीख प्रकाशित की जाएगी। इसी तरह 21 तारीख से अगले माह की 05 तारीख तक चलने वाले ड्रा का लकी ड्रा 10 तारीख को किया जायेगा और विजेताओं की पहली सूची 11 तारीख को प्रकाशित की जाएगी • सुपर 15 के सभी कूपन प्रपत्र पाठक स्वयं अपने नजदीकी दैनिक जागरण, दैनिक जागरण-Inext, नईदुनिया और नवदुनिया कार्यालय में जाकर जमा करा सकते हैं। साथ ही, कुछ जनपदों में कूपन कलेक्शन सेंटर लगाए जायेंगे, जिनमें पाठक भरे हुए कूपन प्रपत्र जमा कर सकते हैं। कूपन कलेक्शन सेंटर के स्थानों की जानकारी समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी। पाठक कूरियर, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी तय समय सीमा के अंदर नीचे दिए गए पते पर अपना कूपन प्रपत्र भेज सकते हैं। सुपर 1 योजना में यदि किसी ड्रा की कोई पंक्ति किसी कारणवश छूट जाती है तो उसे अगले ड्रा में शामिल कर लिया जायेगा • गारंटीड उपहार / मेगा ड्रा योजना के लिए 120 दिनों में 60 कूपन प्रकाशित किये जायेंगे। गारंटीड उपहार प्राप्त करने के लिए पाठक को हर 60 में से कोई 40 कूपन प्रपत्र पर चिपकाने होंगे। गारंटीड उपहार योजना में शामिल होने के लिए पाठक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए कूपन प्रपत्र पर एक QR कोड प्रकाशित किया जायेगा जिसे पाठक अपने स्मार्टफोन से स्कैन कर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पाठक को एक UNIQUE ID भेजा जायेगा जिसे पाठक को कूपन प्रपत्र पर लिखना अनिवार्य होगा। पाठक पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र (UNIQUE ID सहित) अपने नजदीकी उपहार वितरण केंद्र में प्रस्तुत कर अपना गारंटीड उपहार प्राप्त कर सकते हैं। उपहार वितरण केंद्रों की सूची समय समय पर प्रकाशित की जाएगी • सुपर 15 योजना के तहत मोटरसाइकिल, एसी और कूलर का ड्रा नॉएडा कार्यालय में किया जायेगा। इसके लिए सभी संस्करणों से Random रूप से एक दैनिक जागरण के नॉएडा कार्यालय में मंगवाई जाएगी। सुपर 15 योजना के बाकी उपहारों का लकी ड्रा संस्करणों के लिए निर्धारित संख्या के आधार पर किया जायेगा • कूपन प्रपत्र साझे पाए जाने पर ही लकी ड्रा में शामिल किया जाएगा। कूपन एवं कूपन प्रपत्र मूल रूप में होने चाहिए तब किसी भी प्रकार की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। अधूरा/ गलत भरा अथवा फटा हुआ कूपन प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा। एक दिनांक का एक ही कूपन स्वीकार्य होगा • पाठक जो मोबाइल नंबर प्रपत्र पर लिखेंगे, लकी ड्रा के समय उस मोबाइल का पाठक के पास होना अनिवार्य है। एक प्रपत्र पर एक ही मोबाइल नंबर लिखा जाएगा • लकी ड्रॉ के विजेताओं की सूचना दैनिक जागरण, दैनिक जागरण- Inext, नईदुनिया और नवदुनिया में प्रकाशित की जाएगी विजेताओं की सूचना प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर ही नजदीकी कार्यालय से उपहार प्राप्त कर सकेंगे। इसके पश्चात इसे रद्द किया जा सकता है • उपहार प्राप्त करने के लिए विजेताओं को उनके द्वारा भरे गए कूपन प्रपत्र में दिए गए नाम एवं पते की भारत सरकार द्वारा मान्य फोटो व आई.डी. की मूल प्रति दिखानी होगी। साथ ही उसी की छायाप्रति जमा करवानी होगी। दिखाए गए उपहार असल उपहार से भिन्न हो सकते हैं। प्रकाशक किसी भी उपहार की गुणवत्ता / गारंटी के प्रति उत्तरदायी नहीं है • टीवीएस, इन्थ्रोन-ई / रोज टैक्स आदि के मद में आने वाले उपहार प्राप्त करने के लिए राशी टैक्स की राशि विजेता द्वारा ही देय होगी • विज्ञापन में दिखाए गए उपहार, वास्तविक उपहारों से भिन्न हो सकते हैं। किसी उपहार के बदले नगद कनराशि नहीं दी जायेगी। उपहार कम पड़े अथवा न मिलने की दशा में बराबर कीमत का अन्य उपहार दिया जा सकता है • प्रकाशक के पास सभी प्रविष्टियों को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। प्रकाशक बिना कोई कारण बताएं बिना किसी भी पूर्व सूचना के योजना के नियमों में परिवर्तन / योजना रद्द/योजना निरस्त कर सकता है • किसी भी विवाद का निपटारा / निर्णय कानपुर न्यायालय द्वारा किया जाएगा • किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रकाशक प्रबंधन का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा • इस योजना में प्रकाशक के परिवारजन, स्टाफ एवं एजेंट अथवा उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति भाग नहीं ले सकता है • प्रकाशक की ओर से इस योजना में भाग लेने वाले पाठकों प्रचार के कारण या मैसेज किए जा सकते हैं। ये काल या मैसेज TRAI के UCC नियमों के तहत नहीं आएंगे • अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- जागरण प्रकाशन लिमिटेड कार्यालय, 2-सर्वोदय नगर, कानपुर, पिन-208005, फोन-88107 08292, 97179 92900 (सुबह 11 से सायं 4 बजे)